

आदेश

अधोहस्ताक्षरी के आदेश संख्या 560-66/कैम्प-रैगिंग समिति-19 /2019-20 दिनांक 03 अगस्त 2019, निदेशालय प्राविधिक शिक्षा उ0प्र0कानपुर, सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0लखनऊ, एवं संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा पूर्वी क्षेत्र, वाराणसी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं रैगिंग प्रतिशोध अधिनियम-2010 के परिप्रेक्ष्य में गठित (एन्टी रैगिंग समिति आदेश सलंगन) द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की एन्टी स्काव्यड समिति गठित की जाती है। जोकि संस्था परिसर के अन्दर रैगिंग की रोकथाम सुनिश्चित करेंगे।

मोबाइल एन्टी रैगिंग स्काव्यड अध्यक्ष/सदस्यगण के साथ प्रतिदिन कार्यदिवस में कम से कम तीन-तीन बार संस्था परिसर के अन्दर रैगिंग की रोकथाम हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण को प्रथम वरीयता देते हुए आपसी सामंजस्य व्यवस्थानुसार भ्रमण करेंगे। ताकि रैगिंग जैसी कुप्रथा पर रोकथाम लगाई जा सके।

क्र०स०	अधिकारी / कर्मचारी का नाम व पदनाम	रैगिंग समिति पदनाम	मोबाइल नम्बर
1	श्री राकेश कुमार, अध्यक्ष इलैक्ट्रानिक्स अभि०	अध्यक्ष	6394787246
2	सुश्री स्तुति श्रीवास्तव, व्या० यॉत्रिक अभि०	सदस्य	---
3	श्री संजय कुमार व्या० यॉत्रिक अभि०	सदस्य	9450342615
4	श्री कुर्वर मृत्युंजय सिंह, व्या० इलैक्ट्रानिक्स अभि०	सदस्य	8707474590
5	श्री अभिषेक कुमार पंकज, व्या० इलैक्ट्रानिक्स अभि०	सदस्य	7905240603
6	श्री मो० रिजवानुल हक, कर्मशाला अनुदेशक	सदस्य	9794197540

(नीरज यादव)
प्रधानाचार्य

प्रधानाचार्य कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक- फतेहपुर।

पत्रांक 567-73 /कैम्प-एन्टी रैगिंग स्काव्यड-19/2019-20 दिनांक 03 अगस्त 2019

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-उपरोक्तानुसार समिति के अध्यक्ष एवं समस्त सदस्य।
- 2-निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0विकासनगर कानपुर।
- 3-सचिव, प्राविधिक शिक्षा, परिषद उ0प्र0लखनऊ।
- 4-संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा पूर्वी क्षेत्र, सुन्दरपुर, वाराणसी।
- 5-जिलाधिकारी-फतेहपुर।
- 6-समस्त कक्षाध्यापकों में चक्रीकृत।
- 7- नोटिस बोर्ड संस्था/कर्मशाला/महिला छात्रावास/पुरुष छात्रावास पर चर्या हेतु।

(नीरज यादव)
प्रधानाचार्य